BA-2, Paper-3, Indian legislature
Seema Kumari, Asst. Prof (Pol. Sc.), RNC, Sasaram
Date - 28.05.2020

संसद के सदन कार्यवाही - संसद का सचिवालय - संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है जिनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं प्रधानमंत्री लोकसभा के नियमों के तहत 'सदन का नेता' होता है ऐसे ही राज्यसभा में भी होता है संसद के दोनों सदनों में एक-एक 'विपक्ष का नेता' का नेता होता है विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के दसवें हिस्से के करीब होने चाहिए। इनका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है

संसद के सत्र - संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय-समय पर समन जारी करता है लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्यतः 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं -

1. बजट सत्र (फरवरी से मई)
2. मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर)
3. शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)

विधेयकों (Bills) के प्रकार तथा उनका पारित होना - संसद का सर्वप्रमुख कार्य है विधि (law) बनाना। विधायी प्रक्रिया का प्रारंभ विधेयक के रूप में किया जाता है। विधेयक एक प्रस्तावित विधान है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह कानून या विधि बन जाती है। विधेयकों का वर्गीकरण-

- साधारण विधेयक
- वित्तीय विधेयक
- धन विधेयक
- संविधान संशोधन विधेयक

(1. सरकारी विधेयक हैं क्योंकि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही उन्हें लाया जाता है।

2. निजी विधेयक - मंत्रियों के अतिरिक्त सदन के शेष व्यक्ति लाते हैं

Scanned with CamScanner

साधारण विधेयक - वित्तीय विधेयक, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष सभी विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। किसी राज्य की सीमाओं के पुनर्निधारण से सम्बद्ध अनु० 3 के अंतर्गत प्रस्तावित विधेयकों को छोड़कर ऐसे समस्त साधारण विधेयकों को बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसे विधेयकों को दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।

प्रत्येक सदन ने विधेयक को पारित करने की एक प्रक्रिया अपनायी है, जिस प्रक्रिया के अनुसार, विधेयक को तीन अवस्थाओं से पारित किया जाता है जिन्हें वाचन (readings) कहते हैं।

प्रथम वाचन - सदन में विधेयक को पुरः स्थापित किया जाता है। इस अवस्था में उस पर कोई बहस नहीं होती है।

द्वितीय वाचन - यह विचार - विमर्श की अवस्था है।

तृतीय वाचन - संक्षिप्त सामान्य बहस होती है और विधेयक को अंततः पारित कर दिया जाता है।

धन विधेयक - Article 110, धन विधेयक तब माना जाएगा जब किसी कर का आरोपण, उत्सादन परिहार, परिवर्तन या विनियमन हो। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उनसे धन निकालना।

राष्ट्रपति की अनुशंसा के पश्चात केवल लोकसभा में ही धन की पहल हो सकती है। लोस में पारित होने के बाद विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है जिसके पास 4 विकल्प होते हैं :-

Scanned with CamScanner